कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/14/2026

अकील खान पुत्र सलीम खान निवासी कुम्हेर गेट, लाजरा पट्टी, कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर राज0 मो.नं. 9887383483

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कलेक्ट्रेट, भरतपुर

...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 17.04.2026**

अपीलार्थी अकील खान पुत्र सलीम खान निवासी कुम्हेर गेट, लाजरा पट्टी कस्बा वैर, तहसील वैर जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस आश्य की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया गया। चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/26/195 दिनांक 01.04.2026 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कलै0 भरतपुर का जबाब पत्रांक एल.आर./रिकार्ड/RTI/09/2023/3685 दिनांक 17.04.2026 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी/प्रार्थी ने अपील में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी से लाजरा पट्टी तहसील वैर,

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

जिला भरतपुर में स्थित विभिन्न खसरा संख्याओं से सम्बन्धित 1962 से 1964 की अवधि में शत्रु सम्पत्ति में निहित भूमि, नामान्तकरण, अधिग्रहण, गजट अधिसूचना एवं संबन्धित आदेशों की प्रमाणित प्रतियाँ मांगी गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा मांगी गई सूचना 20 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण सूचना दिये जाने से इन्कार किया गया है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है।

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कलै0 भरतपुर से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब पत्रांक एल.आर./रिकार्ड/RTI/09/2023 /3685 दिनांक 17.04.2026 में अंकित किया है कि–"..........(2)... आवेदक द्वारा चाही गई सूचना बाबत् इस कार्यालय के पत्रांक 1106 दिनांक 20.02.2026 से जबाव प्रेषित किया गया है कि वांछित सूचना 20 वर्ष से पुरानी होने के कारण देय नहीं है।......(3)......सूचना के अधिकार अधिनियम 8(3) के अन्तर्गत यह उल्लेखित है कि धारा 8(1) के खण्ड (क),(ग),(झ) के उपबन्धों के अधीन कोई सूचना घटना के घटित होने से 20 वर्ष पूर्व घटित हुई हो तो इसके निर्धारण में केन्द्र सरकार का विनिश्चय प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुये अंतिम होगा। चूंकि आवेदक द्वारा शत्रु सम्पत्ति नियम/अधिनियमों के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी जो धारा 8(1)(ग) के अन्तर्गत संसद द्वारा लिए गये निर्णयों से सम्बन्धित है। अतः तदनुसार आवेदक को उक्त पत्र से सूचित किया गया था।........" साथ ही लोक सूचना अधिकारी का जबाब में यह भी कथन है कि यदि आवेदक को राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित रिकॉर्ड चाहिए था तो वह प्रक्रियान्तर्गत तहसीलदार वैर को आवेदन प्रस्तुत कर नकलें प्राप्त कर सकता था।

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कलै0 भरतपुर के उक्त जबाब से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई वॉछित सूचना 20 से पुरानी होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 8(3) के अन्तर्गत दिये जाने योग्य नहीं रहती है। साथ ही लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी भू अभि. अनुभाग कलै0 भरतपुर ने अपने जबाब पत्रांक एल.आर. /रिकार्ड/RTI/09/2023/3685 दिनांक 17.04.2026 में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थी, राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित सूचना तहसीलदार वैर को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त पत्र की एक प्रति तहसीलदार वैर को इस आश्य के साथ प्रेषित की गई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी

.......3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील / आरटीआई / 14 / 2026

अकील खान बनाम लो.सू.अ. प्र.अधि. भू अभिलेख अनुभाग कलै0 भरतपुर

द्वारा नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यमान रिकार्ड की नकलें आवेदक को उपलब्ध कराई जावें। उक्त पत्र की एक प्रति प्रार्थी/अपीलार्थी को भी प्रेषित की जाकर सूचित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कलै0 भरतपुर के स्तर पर सूचना दिया जाना लम्बित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) इस आश्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वे उक्तानुसार वॉछित सूचना प्राप्त करने हेतु तहसीलदार वैर को नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार वॉछित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। निर्णय की एक प्रति लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को एवं एक प्रति तहसीलदार वैर को भी इस आश्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह वॉछित सूचना नियमानुसार प्रार्थी को उपलब्ध करावें। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर